**अपील सूचना अधिकार संख्या 115/2021 (GCMS 2021/90)(आईटीआई पोर्टल नं. 212516271149440) एडवोकेट शिवकुमार आचार्य, कोर्ट परिसर, अनूपगढ** जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 82391–48588) **बनाम उपखण्ड अधिकारी, घडसाना**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**<u>27.06.2022</u>**

**पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी** शिव कुमार आचार्य स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2021 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.09.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से निम्न सूचना चाही थी:

> तहसील घड़साना के ग्राम घड़साना के खसरा नं. 70 जो कि चकबन्दी होने पर चक नं. 7 जी डी''ए'' एवं चक नं. 7 जी डी ''बी'' में पैमूद हुआ है की कुल उक्त 377 बीघा 12 बिस्वा भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए आपके कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार जबसे हो रहा है, के दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:10 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व), घड़साना ने अपने पत्र क्रमांक 987 दिनांक 28.09.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना/चाहे गये दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि के संबंध में स्पष्ट विवरण अंकित नहीं है एवं चाही गई सूचना संकलित कर देने योग्य/विस्तृत है। अतः आप द्वारा चाही गई सूचना का स्पष्ट विवरण/अंकन कर भिजवाये ताकि आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
घड़साना

**तहसीलदार (राजस्व), घड़साना द्वारा** अपीलार्थी को अपने पत्र दिनांक 28.09.2021 से उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है, **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है, **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस **अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है, इसलिए तहसीलदार (राजस्व), घड़साना द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है, वह सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।** फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार (राजस्व), घडसाना को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि किसी निश्चित समय सूचना चाहे तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

**अतः उक्त विवेचन अनुसार** अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), घड़साना एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 27.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(रुक्मणि रियार बिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:10 IST
Reason: SelfAttested